पत्र संख्या–आई0टी0–Audit–(2023–24)/ 640 /राज्य कर

कार्यालय आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश
(आई0टी0अनुभाग)
लखनऊ :: दिनांक:: 14, सितम्बर, 2023

समस्त जोनल अपर आयुक्त ग्रेड–1,
राज्य कर, उत्तर प्रदेश।

विभागीय आन्तरिक सम्प्रेक्षकों द्वारा कर निर्धारण कार्यालयों में वैट अवधि 2017–18 के वाद वर्ष 2020–21 तक निस्तारित किये गये, जिनकी आन्तरिक सम्परीक्षा वर्ष 2022–23 में पूर्ण करायी जा चुकी है। उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष 2023–24 में GST अवधि की आन्तरिक सम्परीक्षा कार्य योजना प्रस्तावित है जिसके अन्तर्गत व्यापारी द्वारा दाखिल रिटर्न/डाटा/विवरण तथा व्यापारी द्वारा दाखिल रिटर्न/डाटा/विवरण पर संयुक्तआयुक्त(कारपोरेट सर्किल), उपायुक्त, सहायक आयुक्त(कर निर्धारण एवं सचल दल) एवं राज्य कर अधिकारी(कर निर्धारण एवं सचल दल) को रोल आवंटन के अन्तर्गत जारी किये गये नोटिसों/आदेशों की प्रथम त्रैमास में सचलदल इकाईयों की GST अवधि के कार्य की सम्परीक्षा की जानी है। GST व्यवस्था में समस्त सूचनायें/अभिलेख Online उपलब्ध है।

2– विभागीय आन्तरिक सम्प्रेक्षकों को वर्तमान में Boweb Portal पर User Id व Password उपलब्ध नहीं है, तत्क्रम में निर्णय लिया गया है कि विभागीय Curcular No-953/2223050 दिनांक 07–08–2022 के अनुसार कर्मचारियों की भॉति ही आडिटर्स को View Jurisdictional Record and View Jurisdictional Dashboard का विकल्प उपलब्ध करा दिया जाये। तत्क्रम में निर्देशित किया जाता है कि जब आन्तरिक सम्प्रेक्षक अपने तय कार्यक्रम के अनुसार फील्ड कार्यालय में सम्परीक्षा हेतु जायेंगे, तब जोनल अपर आयुक्त राज्य कर की अनुमति प्राप्त करते हुए Sub-state-Admin से उस जोन के जिन कार्यालयों का आडिट किया जाना है, उनका "View Jurisdictional Record and view jurisdictional dashboard" का Role प्राप्त कर सकेंगे। जिसके उपरान्त सम्प्रेक्षकों द्वारा आन्तरिक सम्परीक्षा की कार्यवाही सम्पन्न की जायेगी। सम्परीक्षा की प्रकिया पूर्ण होने के उपरान्त आन्तरिक सम्प्रेक्षक सम्बन्धित जोनल अपर आयुक्त राज्य कर को इसकी सूचना देंगे, तदुपरान्त सम्बन्धित जोनल कार्यालय के Sub-State-Admin द्वारा आन्तरिक सम्प्रेक्षक को प्रदत्त Role समाप्त कर दिया जायेगा।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित व्यवस्थानुसार अपने अधीनस्थ कार्यालयों में तैनात Sub-state-Admin से अपेक्षित कार्यवाही पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

यह पत्र आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश के अनुमोदनोपरान्त जारी किया जा रहा है।

(ओम प्रकाश वर्मा)
अपर आयुक्त, राज्य कर
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।